संख्या 39/2018/720/26-3-2018-10(19)/2007

प्रेषक

रवि शंकर मिश्र,
अनुसचिव
उ0प्र0शासन।

सेवा में

निदेशक
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक-07 मार्च 2018

विषय:- गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में चयनित अभ्यर्थियों की लम्बित देयता का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-80 की योजनान्तर्गत जारी वित्तीय स्वीकति से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1024/स0क0/विकास/कोचिंग-दिल्ली-सामान्य(16-17)/2017-18,दिनांक-01.08.2017 एवं पत्रांक-1377/स0क0/विकास/कोचिंग-दिल्ली-सामान्य(16-17)/2017-18,दिनांक-28.09.2017 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यकविचारोपरान्त गत वित्तीय वर्ष 2016-17 आई0ए0एस0/सी0सी0एस0 प्रारम्भिक परीक्षा में सफल हुये सामान्य् वर्ग के छात्र/छात्राओं की लम्बित देयता की धनराशि रू0.27.50 लाख (रू0 सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र) का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-80 के योजनान्तर्गत जारी वित्तीय स्वीकति से इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि योजनान्तर्गत किये जाने वाले कुल व्यय को बजट प्राविधान के अन्तर्गत रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।

2- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-39/2018/720(1)/6-3-2018-तददिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्यय) अनु0-1/2

6- राज्य योजना आयोग-1/2

7- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

रवि शंकर मिश्र

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।